SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

आदिवासी राजनीति, मुद्दे और चुनौतियाँः झारखण्ड के संदर्भ में

शक्ति कुमार, पी–एचडी, राजनीति विज्ञान विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
शक्ति कुमार, पी–एचडी
E-mail : kumarskati625@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/10/2025
Revised on : 18/12/2025
Accepted on : 27/12/2025
Overall Similarity : 00% on 19/12/2025

शोध सार

झारखण्ड भारत का 28वाँ राज्य है। इसका गठन पन्द्रह नवम्बर दो हजार ई. को हुआ था। यह प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है। इस राज्य का अलग राज्य बनने के पीछे सपना था कि यहाँ के लोगों की जल, जंगल और जमीन की रक्षा की जा सके। खनिज संसाधन से भरपूर इस राज्य में न तो जल, जंगल और जमीन की रक्षा हो सकी और न ही यहाँ के मूल वासियों को मिलने वाले हक और अधिकार। वर्तमान समय में इस राज्य में ऐसे समकालीन मुददे उभर कर सामने आ रहे है जो विकास में बाधा का काम कर रही है साथ ही इन मुद्दो का समाधान जब तक नही किया जाता तब तक राज्य का विकास कर पाना संभव नहीं है। विशेषकर आदिवासी हितों को नुकसान अधिक होगा क्योंकि इन्हीं के हितों अथवा आदिवासी बहुल राज्य के रूप में अलग किया गया है। यदि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का विकास करना है तो राज्य के जितने भी समस्याएँ एवं मुददे है उनका समाधान करना होगा। वर्तमान समय में झारखण्ड में इस समय लगातार पेसा अधिनियम–1996 और सरना धर्म कोड को लेकर मांग की जा रही है।

मुख्य शब्द

आदिवासी, जल, जंगल, जमीन.

परिचय

झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ई. को हुआ। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल वाला क्षेत्र है। यहां कुल 32 प्रकार के आदिवासी निवास करते हैं। प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 26.02 प्रतिशत है। जहां तक आदिवासी राजनीति की बात है, झारखंड गठन से वर्तमान समय तक यहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अपवाद स्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को छोड़कर। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। इस राज्य

में कुल 24 जिला है, हर एक के जिला में कोई न कोई खनिज संपदा मौजूद है। यहां सरकार किसी भी दल का क्यों न हो इसका राजनीति का केंद्र सदैव आदिवासी केंद्रित होता है। कारण यह है कि यह प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है। वर्तमान राजनीति में अगर लोकसभा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति सीट पांच आरक्षित है कुल 14 सीटों में वहीं विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें 28 सीट आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है ताकि ये अपने–अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपने समुदाय में विकास के पहुंच को सुनिश्चित कर सके, परंतु विडम्बना यह है कि झारखंड का लगभग 25 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसका कारण है जिस उद्देश्य और जिस भावना के साथ झारखंड का गठन किया गया था उसको प्राप्त करने के लक्ष्य से भटके गए थे क्योंकि इस राज्य में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन का लगना भी कहीं न कहीं इस राज्य को आगे बढ़ने में बाधा का काम किया। हालांकि कुछ समय से झारखंड में स्थिर सरकारें बनती आ रही है संभावना है किस इस राज्य का कायाकल्प कुछ और होगा।

झारखंड में आदिवासी राजनीति में यहां जितने भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय दल है उन सभी दलों का आदिवासियों से जुड़ाव या प्रतिनिधि कोई न कोई आदिवासी निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से इनका जुड़ाव का अर्थ है, सभी आदिवासियों के साथ–साथ अपने–अपने समुदायों का विकास करना है। इस राज्य में जब भी लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव होता है उस समय सभी दलों द्वारा आदिवासी वोटरों को रिझाने का काम करती है। सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है ये आदिवासी जिस भी दल की ओर झुकाव रखेंगे निश्चित रूप से उस दल की विजय होगी। जहां तक सवाल है आदिवासियों के मुद्दे और चुनौतियों का आदिवासी राजनीति में मुद्दे और चुनौतियां दोनों शामिल है। झारखंड गठन के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके मुददे और चुनौतियां आज भी विद्यमान है। ऐसा कोई दिन न हो कि यहां के समाचार पत्रों में आदिवासी राजनीति को लेकर समाचार न छपा हो। अभी हाल फिलहाल की ही बात करें तो, लगातार आदिवासी समुदायों द्वारा पेसा कानून को लागू करने की मांग को लेकर आवाज उठायें जा रहे हैं। कहीं पत्थलगड़ी का मामला हो या फिर सरना धर्म की मांग को लेकर बात की जाए तो ये मुददे हमेशा से उठते आ रहे हैं। इस राज्य में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुद्दे ही बनकर रह गए हैं जैसे विस्थापन, पलायन, उचित पुनर्वास का अभाव, आय दिन, डायन बिसाही का मामला। इन सभी को देखते सुनते अब लगता है कि चाहे सरकार किसी भी दल का हो ये मुद्दे हमेशा बरकरार रहेगी ताकि ये आदिवासी हमेशा इन राजनीतिक दलों के वोट बैंक का काम करती रहेगी।

अब सवाल यह है कि इन आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक संवैधानिक रूप से विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अनुच्छेद 330, 332 और 243(D) के अलावा ऐसे कई अनुच्छेदों में प्रावधान है जो इन आदिवासियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। लेकिन आजादी के 75 वर्ष और झारखंड के गठन के 25 वर्ष जीत जाने के बाद न जाने और कितने 75 वर्ष और 25 वर्ष बीतने का इंतजार करना पड़ेगा इन आदिवासियों के विकास के लिए। झारखंड जैसे राज्य में संवैधानिक प्रावधान में आदिवासियों के विकास के लिए अलग से प्रावधान देने के बावजूद भी क्यों आज भी मुददे और चुनौतियां शामिल है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि झारखंड में कुल 32 प्रकार के आदिवासी है। सच्चाई यह भी है कि जिन भी आदिवासियों का लोकसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व हुआ है उनकी दिशा और दशा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। उदाहरण स्वरुप यही कहा जा सकता है कि जैसे संथाल समुदाय इस राज्य की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा आदिवासी है जिनका प्रतिनिधित्व हमेशा से होते आया है परिणाम यह है कि इन आदिवासी समुदाय का विकास हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार आबादी के हिसाब से उरांव, मुण्डा, आदिवासी भी ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनका लोकसभा, विधान सभा में प्रतिनिधित्व हमेशा से मिलते आ रहा है इनका भी सभी क्षेत्रों में विकास को देखने को मिलता है।

1. झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। अलग राज्य के अस्तित्व में आने के बाद झारखंड के लोगों में उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया है। समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों के बावजूद आज भी यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है।
2. लोकसभा एवं विधानसभा में झारखंड के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व झारखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र चौदह है जिसमें पाँच सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। आरक्षित संसदीय सीटों का नाम राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा है। इन सभी आरक्षित सीटों से जीतने वाले व्यक्ति आदिवासी ही है क्योंकि ये सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में जीतकर पहुंचने वाले आदिवासी संताल, मुण्डा, उराँव, हो मुण्डा के ही लोग है। बाकी अन्य आदिवासी समुदाय आज तक लोकसभा एवं विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। परिणाम है कि ये अपने विकास से वंचित हो जाते हैं।
3. संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। वर्तमान आदिवासी आरक्षित संसदीय क्षेत्र एवं सांसद 1. राजमहल (विजय हांसदा) झामुमों 2. दुमका (नलीन सोरेन) भाजपा 3. सिंहभूम (जोबा मांझी) झामुमों 4. खूंटी (कालीचरण मुण्डा) कांग्रेस 5. लोहरदगा (सुखदेव भगत) कांग्रेस। ये सभी संसद सदस्य संथाल, उराँव, मुण्डा आदिवासी समुदाय से ही है।

झारखंड विधानसभा में 81 सीट है जिसमें 28 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है जिसका विवरण इस प्रकार है:

आदिवासी विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान विधायक और दल

1. बोरियो धनंजय सोरेन, झामुमो	2. बरहेट हेमंत सोरेन, झामुमो
3. लिटीपाड़ा हेमलाल मुर्मू, झामुमो	4. महेशपुर स्टीफन मरांडी, झामुमो
5. शिकारीपाड़ा आलोक कुमार सोरेन, झामुमो	6. बसंत बसंत सोरेन, झामुमो
7. जामा लुईस मरांडी, झामुमो	8. घाटशिला रामदास सोरेन, झामुमो
9. पोटका संजीव सरदार, झामुमो	10. सरायकेला चंपई सोरेन, भाजपा
11. चाईबासा दीपक बिरुआ, झामुमो	12. मझगाँव निरल पूर्ति, झामुमो
13. जगन्नाथपुर सोनाराम सिंकू कांग्रेस	14 मनोहरपुर जगत मांझी, झामुमो
15. चक्रधरपुर सुखराम उराँव, झामुमो	16. खरसांवा दशरथ गागराई, झामुमो
17. तमाड़ विकास कुमार मुण्डा, झामुमो	18. तोरपा सुदीप गुड़िया, झामुमो
19. खूंटी रामसूर्य मुण्डा, झामुमो	20. खिजरी राजेश कच्छप, कांग्रेस
21. मांडर शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस	22. सिसई गीगा सुसारण होरो, झामुमो
23. गुमला भूषण तिर्की, झामुमो	24. विशुनपुर चमरा लिंडा, झामुमो
25. सिमडेगा भूषण बाड़ा, कांग्रेस	26. कोलेबिरा नमन बिक्सल कोंगाड़ी, कांग्रेस
27. लोहरदगा रामेश्वर उराँव, कांग्रेस	28. मनिका रामचन्द्र सिंह, कांग्रेस

वर्तमान लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचित सदस्यों को देख कर यही लगता है कि जितने भी आदिवासी प्रतिनिधि है चाहे वह किसी भी दल का हो उनमें से अधिकांश आदिवासी समुदायों में अर्थात् झारखंड के 32 जनजातियों में से सिर्फ तीन से चार आदिवासियों का ही प्रतिनिधि लोकसभा एवं विधानसभा में रहते आ रहा है। इसमें संथाल, उराँव, मुंडा एवं हो आदिवासियों का ही वर्चस्व रहा है। बाकि 28 आदिवासियों का प्रतिनिधित्व इन संवैधानिक संस्थाओं में न पहुंच पाना चिंता का विषय है। यदि प्रत्येक पाँच वर्ष में इन सभी आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का मौका मिले तो निश्चित रूप से आदिवासियों का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो पाएगा और आदिवासियों का राजनीति अर्थात् लोकतंत्र में समान रूप से भागीदारी मिल पाएगा तभी इनके मुद्दों एवं चुनौतियां का सामना किया जा सकता है।

झारखंड में आदिवासी राजनीतिः मुददे और चुनौतियां झारखंड में आदिवासी राजनीति में मुददे और चुनौतियां राज्य गठन के पूर्व और बाद भी विद्यमान है जिसका निराकरण करना अतिआवश्यक है जो निम्न हैः

1. भूमि अधिकार और विस्थापन आदिवासी समुदायों की आजीविका और पहचान जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है। औद्योगिकरण, खनन परियोजनाएं और बांधों के कारण बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ जिससे आदिवासी विस्थापित हुए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPTA) और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNTA) जैसे कानून आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बने हैं लेकिन इस कानून को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है।
2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गिरावट झारखंड में 32 आदिवासी समुदायों में मात्र तीन या चार आदिवासियों का लगातार प्रतिनिधित्व होना भी उनका राजनीतिक प्रभाव घटता जा रहा है।
3. पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण आदिवासी भाषाओं जैसे संताली, मुंडारी, हो, कुडुख भाषाओं संरक्षण और शिक्षण अभी भी एक चुनौती है। आदिवासी धर्म यानी सरना धर्म कोड की मांग अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे की भारी कमी है जिससे सामाजिक पिछड़ापन बना रहता है। आदिवासी क्षेत्र के बच्चों में पोषण की कमी संबंधित अखबार में हमेशा प्रकाशित होते रहता है।
5. नक्सलवाद का प्रभाव कई आदिवासी क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के चलते शासन एवं विकास बाधित होता है जिससे आदिवासी जनता दोहरी मार झेलती है एक ओर सरकार की अपेक्षा और दूसरी और नक्सली हिंसा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसे मार्च 2026 तक खत्म करने का बीड़ा उठाया है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. राजनीतिक दलों का उपयोगवाद अक्सर आदिवासी नेताओं का प्रयोग केवल वोट बैंक के लिए किया जाता है न कि उनके मुद्दों के स्थाई समाधान के लिए।
2. भ्रष्टाचार और नेतृत्व का संकट आदिवासी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं जिससे आदिवासी समुदाय का विश्वास डगमगाता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो।
3. जनगणना में धर्म पहचान की समस्या झारखंड में लगातार सरना धर्म कोड को धार्मिक पहचान के रूप में मांग को लेकर आंदोलन झारखंड से लेकर दिल्ली तक होते रहा है। मान्यता नहीं मिलने से आदिवासी हिंदू धर्म में गिने जाते हैं जिससे उसकी सांस्कृतिक पहचान दबती जा रही हैं।
4. नव– उपनिवेशवाद का खतरा झारखंड में बाहरी कंपनियां और पूंजीवादी विकास मॉडल आदिवासी जीवन शैली और आत्मनिर्भरता को खतरे में डाल रहे हैं।

आदिवासी मुद्दों एवं चुनौतियां के समाधान संबंधी सुझावः

1. भूमि कानूनों को मजबूती से लागू करना।
2. सरना धर्म कोड की मांग को मान्यता देना।
3. आदिवासी भाषा, सभ्यता संस्कृति की संरक्षण और बढ़ावा देना।
4. स्थानीय स्वशासन अर्थात् पेसा कानून में आदिवासी सहभागिता को बढ़ावा देना।
5. विकास परियोजना में स्थानीय समुदाय की सहमति और पुनर्वास की व्यवस्था करना।
6. संविधान में आदिवासियों के राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप इनका विकास करना।

निष्कर्ष

भारत के आजादी के 75 वर्ष बाद एवं झारखंड गठन के 25 वर्ष बाद भी जिस गति से इस राज्य के आदिवासी समुदाय का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। यह प्रदेश खनिज संपदा के मामले में अमीर प्रदेश है लेकिन विकास के मामले में गरीब। इस राज्य एवं यहां रहने वाले आदिवासी समुदाय का विकास करना है तो संविधान के अनुरूप एवं आदिवासी राजनीति में सभी 32 प्रकार के आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी समग्र विकास कर पाएगा नहीं तो संविधान में कितने भी आरक्षण के प्रावधान किए जाए वह यथावत ही रहेगा। इनके विकास से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना होगा। आदिवासी राजनीति को सिर्फ वोट बैंक न समझे बल्कि इनको मुख्य धारा के विकास में जोड़ने का प्रयास करें।

संदर्भ सूची

1. कुमार, संजीव (2012) *झारखण्ड सामान्य ज्ञान,* लूसेन्ट पब्लिकेशन, पटना।
2. मासिक पत्रिका, *योजना,* जुलाई, 2022 ।
3. सिंह, सुनील कुमार (2012) *झारखण्ड परिदृश्य,* क्राउन पब्लिकेशन, राँची।
4. https://www.prabhatkhabar.com/, Accessed on 08/10/2025.

****